झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान हेतु छात्र संख्या एवं अन्य कागजात के सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 05/2019

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी.आर.197976 दिनांक 19.12.2018 में दिए गए निदेश के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लए अनुदान हेतु आवेदन Online आमंत्रित किया गया है। परिषद् को यह निदेश दिया गया है कि अनुदान के लिए आवेदित इंटर महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या, उनकी औसत उपस्थिति एवं 75% छात्रोपस्थिति (औसत गत तीन माह का) के आधार पर ही आवेदन को अग्रसारित कर ससमय Online निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

विज्ञप्ति में दिए गए निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुदान हेतु आवेदित स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के आवेदन को अग्रसारित करने हेतु संलग्न दस्तावेज, साक्ष्य, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्र की संख्या, उनकी औसत उपस्थिति एवं 75% छात्रोपस्थिति (औसत गत तीन माह का) के सत्यापन के लिए प्रमण्डलवार कार्यक्रम निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है:–

क्र.सं.	प्रमण्डल का नाम	कागजात सत्यापन की तिथि
1.	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	दिनांक 23.01.2019
2.	उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमण्डल	दिनांक 24.01.2019
3.	संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमण्डल	दिनांक 25.01.2019

उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को संबंधित इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य निश्चित रूप से परिषद् कार्यालय में उपस्थित होकर सभी कागजातों, उपस्थिति पंजी एवं नामांकन पंजी के साथ परिषद् कार्यालय, राँची में सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के अन्दर Online जमा किए गए आवेदन को ससाक्ष्य सत्यापित कर तीन प्रतियों में सत्यापन तिथि को ही परिषद् में जमा करेंगे।** सत्यापन नहीं होने के स्थिति में उनके अनुदान के लिए आवेदित आवेदन को अग्रसारण योग्य नहीं माना जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त सत्यापन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

साथ ही महाविद्यालय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उनका आवेदन Online जमा कर दिया गया है, क्योंकि गत वर्ष कुछ महाविद्यालयों द्वारा आवेदन सही तरीके से नहीं भरे जाने के कारण परिषद् को अग्रसारण हेतु Online उपलब्ध नहीं हो सका था। ज्ञातव्य हो कि परिषद् उसी आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम है जिसका आवेदन Online परिषद् के स्तर पर उपलब्ध हो।

विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 197976 दिनांक 19.12.2018 में दिए गए निदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/ कॉ.स्था./44/19/SECY/72/2019
Dt. 18.01.2019
D.O.P: 19.01.2019